रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10102022-239508
CG-DL-W-10102022-239508

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 34] नई दिल्ली, सितम्बर 18—सितम्बर 24, 2022, शनिवार/ भाद्र 27—आश्विन 2, 1944
No. 34] NEW DELHI, SEPTEMBER 18—SEPTEMBER 24, 2022, SATURDAY/BHADRA 27—ASVINA 2, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 131.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप कमांडेंट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप कमांडेंट) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाषन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.–पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**.–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (6) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.–वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**–जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह कारण का लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक / उप कमांडेन्ट	03* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित भौक्षिक और अन्य अर्हताएं
(4)	(5)	(6)	(7)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 11 (67,700–2,08,700 / –रु.)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और भौक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति	**प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– केन्द्रीय सशस्त्र बलों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारियों में सेय (i) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 11 (67,700–2,08,700 / –रु.) में सदृश

			पद धारण किए हुए है । या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 10 (56,100–1,77,500/–रू.) में ऐसे पुलिस उप अधीक्षक या सहायक कमांडेंट जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है । **आवश्यक** : शैक्षिक अर्हताएं– क) मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री । **अनुभव** : (i) फील्ड क्राफ्ट और रणकौशल से संबंधित आउटडोर और इनडोर प्रशिक्षण की योजना, समन्वय, शिक्षण और संचालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप अधीक्षक/सहायक कमांडेंट की पंक्ति के अनुदेशक/प्रशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। (ii) वह मानचित्र पढ़ने और रणकौशल, विस्फोटक हथियार जैसे क्षेत्रों में सीएपीएफ/राज्य पुलिस संगठन द्वारा संचालित कम से कम दो प्रमाणित पाठ्यक्रमों में अर्हित होना चाहिए। (iii) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/ उप अधीक्षक/सहायक कमांडेंट की पंक्ति में यूनिट/बटालियन में ऑपरेशन फील्ड क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** – (i) साधारण प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव। (ii) फील्ड क्राफ्ट और रणकौशल में विशेषज्ञता होना । (iii) विधि में डिग्री और पुलिस से संबंधित विषयों का ज्ञान रखने वाले अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी। **टिप्पण** – प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. 23011/84/2011–पुलिस ट्रेनिंग]

रमन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th September, 2022

G.S.R. 131.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Superintendent of Police / Deputy Commandant in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, namely:-

1. **Short title and commencement.—(1)** These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Additional Superintendent of Police / Deputy Commandant) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix -The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (6) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Additional Superintendent of Police / Deputy Commandant.	03* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted, Group-'A'.	Pay Level 11 (Rs. 67,700-2,08,700/-) in the pay matrix .	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicabl	Deputation

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	**(12)**	**(13)**
By deputation: From amongst officers of the Central Armed Police Forces or State Police Organisations (i) holding analogous posts Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700/-) in the pay matrix. OR (ii) Deputy Superintendent of Police/Assistant Commandant in Level 10 (Rs. 56,100-1,77,500/-) in the pay matrix, with five years regular service in the grade. **Essential :** Education qualifications: (a) Bachelors degree from recognised Institute. **Experience:** (i) Three years experience as Instructor or Trainer in the rank of Additional Superintendent of Police/ Deputy Superintendent/Assistant Commandant in planning, coordination, teaching and conduct of outdoor and indoor training related to field craft and tactics. (ii) He should be qualified in minimum two certified courses conducted by the Central Armed Police Forces or State Police organisations in areas like map reading and tactics, explosive weapons. (iii) Two years experience in operation field area in Unit/Battalion in the rank of Additional Superintendent of Police/ Deputy Superintendent/ Assistant Commandant. **Desirable:** (i) Two year experience in General Administration. (ii) Having specialisation in field craft and tactics. (iii) Preference will be given to officers possessing degree in Law and knowledge of police related subjects. **Note :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of application.	Not applicable	Consultation of Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 23011/84/2011-Police Trg.]

RAMAN KUMAR, Under Secy.